भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3892
11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत अनियमितताएँ

3892. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं में अनियमितताओं के दर्ज किए गए मामलों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) ग्रामीण विकास योजनाओं में सामाजिक संपरीक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) कितने जिलों में नियमित सामाजिक संपरीक्षा की जा रही है; और

(च) सामाजिक संपरीक्षा के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): जमीनी स्तर पर विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है और मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यक सत्यापन/जांच करने तथा दोषी पाए गए अधिकारियों/व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को भेजा जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किए हैं। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को जहां कहीं भी कमियां पाई जाती हैं, वहां सुधारात्मक और उपचारात्मक उपाय करने की सलाह भी देता है। हालांकि, मंत्रालय ऐसे आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है।

(ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के योजनागत दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रदान किए गए कार्यान्वयन ढांचे में अनियमितताओं को रोकने के लिए अंतर्निहित उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, कार्यान्वयन में आसानी, बेहतर लक्ष्यीकरण, प्रभावी वितरण और बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संबंधित हितधारकों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर प्रगति और प्रभावशीलता की समवर्ती निगरानी/आकलन को सक्षम करने के लिए कार्यक्रमों के तहत शुरू से अंत तक डिजिटल समाधान भी संचालित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, निवारक तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से, शिकायत निवारण को योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक अभिन्न अंग बनाया गया है और योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार प्राथमिकताओं के आधार पर इसे निष्पादित किया जा रहा है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायत दर्ज करने की एक प्रक्रिया है। सीपीग्राम्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों को शिकायत निवारण के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है और शिकायत प्राप्त होने के एक महीने के भीतर शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए मंत्रालय को की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, मध्यावधि समीक्षाओं, सामान्य समीक्षा मिशन, एनएलएम, अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों, मासिक समीक्षाओं, क्षेत्र अधिकारियों के दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजनाओं के उचित कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा/निगरानी करता है।

(घ) से (च): सामाजिक अंकेक्षण योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होने के नाते, उन्हें अपनी निर्धारित नीतियों/दिशानिर्देशों के अनुसार नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करने की सलाह दी गई है। सामाजिक अंकेक्षण के दौरान पाई गई शिकायतों/अनियमितताओं को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा सत्यापन और उचित उपचारात्मक कार्रवाइयों के लिए उठाया जाता है। इन कार्यक्रमों के तहत देश भर के कई जिलों में नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं और मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा गया है।
